अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 152/2012

बच्चू यादव —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 27.03.12 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 24/2007 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा निबंधित केवाला संख्या 2294 दिनांक 25.04.04 के माध्यम से मौजाः सुखासन, खाता संख्याः 304/क, खेसरा पुरानाः 278, खेसरा नयाः 88, रकबा 2 कट्ठा 10 धूर भूमि आवासीय मकान बनाने हेतु रेस्पोण्डेन्ट संख्या –2 से क्रय किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि उक्त केवाला द्वारा भूमि खरीदने के बाद केवाला नं०: 12193/26.12.06 के द्वारा 17 धूर भूमि आवासीय उद्देश्य से पत्नी के नाम खरीद किया गया वो अपीलार्थी के पास इसके अतिरिक्त 4 कट्ठा 5 धूर भूमि खेती योग्य है जिसमें अपीलार्थी के अन्य तीनों भाईयों का भी हिस्सा है बतलाते हैं ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल ने रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के अरिया रैयत होने के कारण उनके नामक उक्त खरीदगी भूमि को निबंधित करने का आदेश विपक्षी को दिया गया है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में इन्फोरमेशन आवेदन नाम से बच्चू यादव की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 18.04.06 को खरीद की गयी भूमि आवासीय नहीं है बल्कि उक्त केवाला में सिंचित कृशि योग्य किस्म दर्ज करते हुए निबंधित किया गया है जिसके उत्तर एवं पश्चिम चौहद्दी में पूर्व से ही उनकी भूमि है वो प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृशि योग्य भूमि है वो उक्त भूमि पर पहुँचने के लिए आम रास्ता नहीं है जबकि केवाला में पूरब की चौहद्दी में गलत रूप से डगर भी दिखाया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अंचल अधिकारी, किसनपुर द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी के नाम 1 एक्ड़ 45 डीसमल अन्य भूमि का होना भी बताया गया है अतएवं अपीलार्थी के भूमिहीन होने एवं प्रश्नगत भूमि का आवासीय होना दोनों को गलत बतलाते हैं।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित किया गया है कि *आवेदक (बच्चू यादव) के द्वारा दाखिल आवेदन में प्रश्नगत केवाला की तिथि दिनांक 25.04.04 बतायी गयी है जबकि यह केवाला दिनांक 18.04.06 को निबंधन हेतु दाखिल किया गया एवं दिनांक 25.04.06 को निबंधित किया गया है। केवाला में दर्ज भूमि का किस्म सिंचित बताया गया है तथा इसके उत्तर एवं पश्चिम चौहद्दी में कमलेश्वरी यादव का नाम अंकित है। इसलिए आवेदक का यह कहना कि प्रश्नगत भूमि आवासीय है सही नहीं है। आवेदक के भूमिहीन होने का प्रश्न है, वे अंचल अधिकारी, किसनपुर द्वारा निर्गत भू स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुसार भूमिहीन नहीं है। इसके अलावे प्रतिपक्षी प्रश्नगत भूमि के उत्तर एवं पश्चिम के अरिया रैयत है।*

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया, पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने एवं साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत विधिसम्मत एवं न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। अस्तु अपील वाद खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.1.2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

23.1.2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा